"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 34]　　रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 21 अगस्त 2015—श्रावण 30, शक 1937

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, Shrimasis Rout S/o Shri Lingaraj Rout निवासी-साई चरण, हाउस नं. 108, आयुष किराना के पास, ब्लाक 30, सेक्टर 3, शिवानन्द नगर, खमतराई, रायपुर तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अन्य अभिलेखों में मेरा नाम Srimasis Rajsirsendu Rout दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम Shrimasis Rout रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे Shrimasis Rout S/o Shri Lingaraj Rout के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
Srimasis Rajsirsendu Rout S/o Shri Lingaraj Rout Resi.- Sai Charan, House No. 108 30 Block, Sector 3, Near Ayush Kirana, Shivanand Nagar, Khamtarai Raipur (C. G.)	Shrimasis Rout S/o Shri Lingaraj Rout Resi.- Sai Charan, House No. 108 30 Block, Sector 3, Near Ayush Kirana, Shivanand Nagar, Khamtarai Raipur (C. G.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, प्रमोद कुमार साहू आत्मज श्री इन्दुराम साहू, उम्र 27 वर्ष, निवासी-प्लाट नं. 03, सड़क नं. 15, मैत्री कुंज, रिसाली भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरा पूरा नाम प्रमोद कुमार साहू आ. इन्दुराम साहू है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम रंजीत सिंह रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे रंजीत सिंह आ. इन्दुराम के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
प्रमोद कुमार साहू आत्मज-श्री इन्दुराम साहू निवासी-प्लाट नं. 03, सड़क 15 मैत्री कुंज, रिसाली भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	रंजीत सिंह आत्मज-श्री इन्दुराम निवासी-प्लाट नं. 03, सड़क 15 मैत्री कुंज, रिसाली भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, जितेन्द्र कुमार (Jitendra Kumar) पिता श्री सारंगधर मोतीराम भोवते (Shri Sarangdhar Motiram Bhowate) उम्र 47 वर्ष, निवासी-36/बी, "सी" पाकेट, मरोदा सेक्टर, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे पुत्र के स्कूल रिकार्ड में प्रशीक जे. भोवते (Prashik J. Bhowate) एवं जाति प्रमाण पत्र में प्रशीक जितेन्द्र भोवते (Prashik Jitendra Bhowate) दर्ज है तथा मेरे बी. एस. पी. के रिकार्ड में मेरे पुत्र का नाम प्रशीक जे. भोवते (Prasheek J. Bhowate) दर्ज है. मैं अपने पुत्र का नाम परिवर्तित कर नया नाम प्रशीक जे. भोवते (Prashik J. Bhowate) रख लिया हूं. तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मेरे पुत्र को प्रशीक जे. भोवते (Prashik J. Bhowate) पिता श्री जितेन्द्र कुमार के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
प्रशीक जे. भोवते (Prashik J. Bhowate) प्रशीक जितेन्द्र भोवते (Prashik Jitendra Bhowate) प्रशीक जे. भोवते (Prasheek J. Bhowate) पिता- श्री जितेन्द्र कुमार निवासी-क्वा. नं. 36-बी, "सी" पाकेट, मरोदा सेक्टर, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	प्रशीक जे. भोवते (Prashik J. Bhowate) पिता- श्री जितेन्द्र कुमार निवासी-क्वा. नं. 36-बी, "सी" पाकेट, मरोदा सेक्टर, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक लोक न्यास दंतेवाड़ा जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ. ग.)

दंतेवाड़ा दिनांक 1 अगस्त 2015

प्ररूप-पांच
[नियम 5 -1 देखिए]

[म. प्र. एवं छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) और लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5 (1) के द्वारा]

राजस्व प्रकरण क्रमांक /ब-121/2014-15.—लोक न्यासों के पंजीयक न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दंतेवाड़ा जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के समक्ष यत: मुझे यह प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 2 की उपधारा (4) के आशय के अधीन लोक न्यास का गठन करती है :

अब, इसलिए मैं लोक न्यासों के पंजीयक न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दंतेवाड़ा जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा मेरे न्यायालय में दिनांक 20-08-2015 को कथित अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) में यथा अपेक्षित, मामले में जॉच करने का प्रस्तावित करता हूं.

एतद्द्वारा सूचना पत्र दिया जाता है कि कथित न्यास श्री अगाधू महापात्र पिता स्व. श्रीकर महापात्र एवं श्रीमति सुनिता महापात्र पति श्री संतोष महापात्र निवासी गायत्री मंदिर के पास दंतेवाड़ा, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा की संपत्ति का न्यासी या कार्यकारी न्यासी या इस कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति और आपत्ति या सुझाव देने का आशय रखने वाले को दो प्रतियों में इस सूचना पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या व्यक्तिश: अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची
(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	लोक न्यास का नाम व पता	:	श्री लक्ष्मीदेवी ट्रस्ट दंतेवाड़ा, रेल्वे स्टेशन के पास दंतेवाड़ा, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ. ग.)
(2)	चल संपत्ति	:	निरंक
(3)	अचल संपत्ति	:	ग्राम दंतेवाड़ा स्थित भूमि खसरा नं. 125/5/ख रकबा 0.101 हे.

हरेश मण्डावी,
पंजीयक.

कार्यालय पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग, जिला दुर्ग

दुर्ग दिनांक 4 अगस्त 2015

प्रारूप

[देखे नियम 5 (1)]

[छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) और छ. ग. लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5 (1) द्वारा लोक न्यासों के पंजीयक दुर्ग के समक्ष]

क्रमांक 1257 /प्र. 2/अ. वि. अ./2015.—यत: कि श्री रामकृष्ण पढारिया आ. श्री हीराभाई पढारिया निवासी फ्लैट नं. 26 वृन्दावन काम्पलेक्स मौदहापारा रायपुर तहसील व जिला रायपुर द्वारा "वीतराग फाउण्डेशन छत्तीसगढ़ दादा भगवान परिवार सतसंग सेंटर वाटर टैंक के पास मरौदा तहसील व जिला दुर्ग" के लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने के लिए आवेदन किया गया है, एतद्द्वारा सूचनापत्र दिया गया कि कथित आवेदन पर दिनांक 21-09-2015 को मेरे न्यायालय में विचार किया जावेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश: अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान होने के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची
(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	लोक न्यास का नाम व पता	:	"वीतराग फाउण्डेशन छत्तीसगढ़ दादा भगवान परिवार संतसंग सेंटर वाटर टैंक के पास मरौदा तहसील व जिला दुर्ग
(2)	चल संपत्ति	:	दो प्रोजक्टर 40000-00, सीडी प्लेयर-2000-00, साउण्ड सिस्टम 10000-00, कुर्सियां-4000-00, कूलर-6000-00, 5 सीलिंग पंखा 5000-00 दरी एवं चटाईयां-5000-00, 2 बुक रखने की अलमारी 4000-00.
(3)	अचल संपत्ति	:	निरंक

ए. के. बाजपेयी,
पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा)

अन्य सूचनाएं

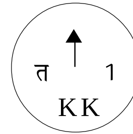
कार्यालय वनमंडलाधिकारी पश्चिम वनमंडल, भानुप्रतापपुर

भानुप्रतापपुर, दिनांक 23 जुलाई 2015

क्रमांक/2015/217.—सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि वन परिक्षेत्र पश्चिम परलकोट अंतर्गत उप परिक्षेत्र मरकानार के बीट पश्चिम पिण्डकसा को प्रदाय बीट हेमर दिनांक 10-07-2015 को गुम हो गया है, जिसकी सूचना परिसर रक्षक श्री जैतराम सोरी वनरक्षक द्वारा दिया गया है.

इसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना बांदे पुलिस थाना में एफ. आई. आर. दर्ज किया चुका है. वन वित्तीय नियम की धारा-124 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग लाते हुए उक्त हेमर भंडार से अपलेखित किया जाता है. श्री जैतराम सोरी, वनरक्षक परिसर रक्षक की लापरवाही से गुम होने के फलस्वरूप उन्हें चरित्रावली चेतावनी दी जाती है एवं भविष्य के लिए सचेत किया जाता है.

यदि उपरोक्त हेमर किसी व्यक्ति को मिले तो वह अपने निकटत्तम पुलिस थाना अथवा वन विभाग के कार्यालय में जमा करने का कष्ट करें तथा उक्त हेमर किसी व्यक्ति द्वारा उपयोग करते हुये पाया जाता है तो उसके विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 63 के अंतर्गत नियमानुसार अभियोग चलाया जावेगा तथा व दण्ड का भागीदार होगा.

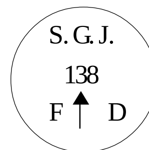


रामअवतार दुबे,
वनमंडलाधिकारी.

कार्यालय वनमंडलाधिकारी सूरजपुर वनमंडल, सूरजपुर (छ. ग.)

सूरजपुर, दिनांक 4 अगस्त 2015

क्रमांक/मा. चि./81.—सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, नीचे दर्शित वन परिक्षेत्र रामानुजनगर, बीट भगवानपुर के बीट गार्ड श्री बेचन राम चौहान, वनपाल के द्वारा उप वनमण्डल से बस्ता जांच उपरांत मुख्यालय वापसी के दौरान बीट हैमर कहीं गिर गया है, जो आज दिनांक तक नहीं मिला है. इसकी सूचना पुलिस थाना प्रेमनगर में दी जा चुकी है. गुमशुदा बीट हैमर की आकृति



वन वित्तीय नियम 124 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गुमशुदा बीट हैमर को वनमण्डल के स्टॉक से अपलेखित किया जाता है. उपरोक्त हैमर यदि किसी व्यक्ति को मिले, तो कृपया निकटतम पुलिस थाने में अथवा वनमण्डल कार्यालय सूरजपुर में जमा करें. इस विज्ञप्ति के अनुसार यदि कोई व्यक्ति गुमशुदा बीट हैमर को अनाधिकृत रूप से रखने अथवा उपयोग करते पाया गया, तो उनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी.

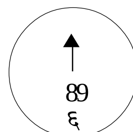
उक्त गुमशुदा बीट हैमर की कीमत 800.00 (रुपये आठ सौ) मात्र श्री बेचन राम चौहान, वनपाल से वसूल करने के आदेश जारी किये जाते हैं, साथ ही हैमर जैसी महत्वपूर्ण वस्तु को सुरक्षित न रखते हुए शासकीय कार्य में असावधानी/लापरवाही बरतने के कारण श्री बेचन राम चौहान, वनपाल को गंभीर चेतावनी दी जाती है.

नवीद शुजाउद्दीन,
वनमंडलाधिकारी.

कार्यालय वनमंडलाधिकारी कटघोरा वनमंडल, कटघोरा जिला-कोरबा (छ. ग.)

कटघोरा, दिनांक 3 अगस्त 2015

क्रमांक/तक. अधि./2015/5302.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, निम्न आकृति का बीट हेमर सपलवा परिसर, परिक्षेत्र चैतमा कु. ममता बंजारा, वनरक्षक द्वारा दि. 19-06-15 को जंगल भ्रमण के दौरान बीट हेमर गुमा दी गई, जो आज दिनांक तक नहीं मिला है.



वन वित्तीय नियम 124 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गुमशुदा बीट हेमर को वनमण्डल के स्टॉक से अलग कर अपलेखित किया जाता है. उपरोक्त हेमर यदि किसी व्यक्ति को मिले तो कृपया निकटतम पुलिस थाने में जमा करें. इस विज्ञप्ति के अनुसार यदि कोई व्यक्ति इस बीट हेमर को अनाधिकृत रूप से रखते हुए अथवा उपयोग करते हुये पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 63 के अनुसार अभियोग चलाया जावेगा ओर दण्ड का भागी होगा.

राजू अगासिमनी,
वनमंडलाधिकारी.

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बस्तर, जगदलपुर (छ. ग.)

जगदलपुर, दिनांक 28 जुलाई 2015

[छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/उ.पं.ज./परिसमापन/2015/258 .—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/414 दिनांक 09-09-2014 के द्वारा नवोदय दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. कुरन्दी, विकासखण्ड जगदलपुर, जिला बस्तर जिसका पंजीयन क्रमांक/DR/BTR/84 दिनांक 30-03-1988 है, को छत्तीसगढ़ सहकारी समितियॉं अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री एम. एल. नंदनवार स. वि. अ. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं एल. एल. बृंझ, उप पंजीयक, सहकारी समितियां जगदलपुर छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-07-99 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 28-07-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

श्री एल. एल. बृंझ,
उप पंजीयक.

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कबीरधाम (छ. ग.)

कवर्धा, दिनांक 27 जुलाई 2015

क्रमांक/उपंक/परि./2015/749.—चूंकि प्राथमिक मछुवा सहकारी समिति मर्यादित, लालपुर खुर्द पंजीयन क्रमांक 04 विकास खण्ड पण्डरिया, जिला कबीरधाम को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंक/621/उपंक/परि./621/कबीरधाम, दिनांक 21-09-12 से सहकारी निरीक्षक कवर्धा, जिला-कबीरधाम को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

संस्था के परिसमापक श्री पी. सी. देवांगन, सहकारी निरीक्षक जिला-कबीरधाम द्वारा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही सम्पन्न कर धारा 71 (3) के अन्तर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जिससे मैं संतुष्ट हूं और यह धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं भूपेन्द्र कुमार ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कबीरधाम छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ की शक्तियों का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत प्राथमिक मछुवा सहकारी समिति मर्यादित, लालपुर खुर्द पंजीयन क्रमांक 04 विकासखण्ड पण्डरिया, जिला-कबीरधाम का पंजीयन निरस्त करता हूं और उक्त संस्था का निगमित निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 27-7-15 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

कवर्धा, दिनांक 31 जुलाई 2015

क्रमांक/उपंक/परि./2015/758.—चूंकि नागा बैगा नागा बैगी खदान श्रमिक सहकारी समिति मर्यादित, कवर्धा पंजीयन क्रमांक 371 , जिला-कबीरधाम को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंक/54/परि./2010 कबीरधाम, दिनांक 27-04-2010 से श्री पी. सी. देवांगन, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

संस्था के परिसमापक श्री पी. सी. देवांगन, सहकारी निरीक्षक द्वारा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही सम्पन्न कर धारा 71 (3) के अन्तर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जिससे मैं संतुष्ट हूं और यह धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं भूपेन्द्र कुमार ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कबीरधाम छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ की शक्तियों का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत नागा बैगा नागा बैगी खदान श्रमिक सहकारी समिति मर्यादित, कवर्धा पंजीयन क्रमांक 371, जिला-कबीरधाम का पंजीयन निरस्त करता हूं और उक्त संस्था का निगमित निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 31-7-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

भूपेन्द्र कुमार ठाकुर,
उप पंजीयक.

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 2 जुलाई 2015

क्रमांक/परि./2015/1817.—जय मातेश्वरी कामगार सहकारी समिति मर्या. बिटकुला विकासखण्ड मस्तुरी जिला बिलासपुर पं. क्र. 304 को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपबि/परि./2015/921 दिनांक 19-03-2015 के द्वारा दिया गया था किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत जय मातेश्वरी कामगार सहकारी समिति मर्या. बिटकुला विकासखण्ड मस्तुरी जिला बिलासपुर पं. क्र. 304 को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री आर. सी. ध्रुव, सहकारिता विस्तार अधिकारी, मस्तुरी को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

बिलासपुर, दिनांक 13 जुलाई 2015

क्रमांक/परि./2015/2142.—आदर्श प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या. इंदिरानगर, विकासखण्ड बिल्हा, जिला-बिलासपुर, पं. क्र. 3822 को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपबि/परि./2015/923 दिनांक 19-03-2015 के द्वारा दिया गया था किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/ एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत आदर्श प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या. इंदिरानगर विकासखण्ड बिल्हा, जिला-बिलासपुर, पं. क्र. 3822 को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री अरूण कुमार शर्मा, सहकारिता विस्तार अधिकारी, बिल्हा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

बिलासपुर, दिनांक 16 जुलाई 2015

क्रमांक/परि./2015/2195.—महामाया प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या. बंधवापारा, विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर, पं. क्र. 3904 को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपबि/परि./2015/1510 दिनांक 03-06-2015 के द्वारा दिया गया था किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत महामाया प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या. बंधवापारा, विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर, पं. क्र. 3904 को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्रीमति पल्लवी मेश्राम, उप अंकेक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

बिलासपुर, दिनांक 28 जुलाई 2015

क्रमांक/परि./2015/2400.—राजीव सफाई कामगार सहकारी समिति मर्या. अन्नपूर्णा कालोनी बिलासपुर विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर, पं. क्र. 314 दिनांक 12-12-2012 को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपबि/परि./2015/1380 दिनांक 20-05-2015 के द्वारा दिया गया था किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत राजीव सफाई कामगार सहकारी समिति मर्या. अन्नपूर्णा कालोनी बिलासपुर विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर, पं. क्र. 314 दिनांक 12-12-2012 को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री जी. डी. पाण्डेय, सहकारी निरीक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

डी. आर. ठाकुर,
उप पंजीयक.

कार्यालय, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, नारायणपुर (छ. ग.)

नारायणपुर, दिनांक 24 जुलाई 2015

क्रमांक/स. प. ना./अंके./परिसमापन/2015/347.— मैं एस. एन. बघेल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थायें, नारायणपुर पूर्व में नियुक्त परिसमापकों के सेवानिवृत्ति/स्थानांतरण होने के कारण छत्तीसगढ़ सहकारी समितियॉ, अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत प्रदत्त अधिकार एवं छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय रायपुर की अधिसूचना क्रमांक/एफ.-15/सहकारिता/19/15-2/2012/1 दिनांक 04-05-2012 द्वारा तहत् प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए कॉलम 04 में नियुक्त परिसमापकों के स्थान पर कॉलम 06 में वर्णित अधिकारियों / कर्मचारियों को उनके नाम के सामने दर्शायी गयी समितियों का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

क्र.	समितियों का नाम	पंजीयन क्रमांक/ दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्र./ दिनांक	पूर्व परिसमापक का नाम व पद	संशोधित परिसमापक का नाम व पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. जम्हरी	92/05-11-1960	वर्ष 2007	जिला-कोण्डागांव से दिनांक 16-06-2015 को प्राप्त	श्री हेमन्त कुमार कुर्राम/उप. अंके.

आदेश तत्काल प्रभावशील होगा जो आज दिनांक 24-7-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी की जा रही है.

एस. एन. बघेल,
सहायक पंजीयक.

कार्यालय, परिसमापक, सहकारी संस्थाएं मर्यादित बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 16 जुलाई 2015

क्रमांक/क्यू.//2014/परिसमापन.— छ. ग. सहकारी संस्थायें नियम 1962 के उपनियम 57 (5) के तहत यह सूचित किया जाता है कि निम्नांकित समितियों के दावेदार/लेनदार अपने दावे मय लिखित प्रमाण 60 दिवस के भीतर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. इस अवधि के पश्चात् आने वाले दावे मान्य नहीं होंगे तथा उपलब्ध अभिलेखों एवं जानकारी के आधार पर अधोवर्णित संस्था के पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी.

यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास उक्त संस्थाओं के रिकार्ड/सम्पत्ति आदि हों तो तत्काल परिसमापक को सौंप देवें अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के भागीदार होंगे.

क्र.	परिसमापनाधीन समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक	परिसमापक	स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	राजीव गांधी मछुआ सह. समि. जोंधरा	3735	आर. सी. ध्रुव सहकारिता विस्तार अधिकारी मस्तुरी	कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर, कक्ष क्र. 14 प्रथम तल, पुराना कम्पोजिट बिल्डिंग, बिलासपुर (छ. ग.)
2.	नवोदित मछुआ सह. समि. मल्हार	3202	--,,--	
3.	सूर्य उजाला अनु. जाति मछुआ देवतरा	3705	--,--	
4.	महिला बहु. सह. समि. धनगंवा	552	--,,--	
5.	भू-विस्थापित कामगार समि. जांजी	145	--,,--	
6.	बजरंग कामगार सह. समि. नवाडीह		--,,--	

आर. सी. ध्रुव,
सहकारिता विस्तार अधिकारी.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.